राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय--बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी--ब्लॉक, योजना भवन, सी--स्कीम, जयपुर, फोन :2220672, 5188104 फैक्स नं.:2224754) E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in.

F-6(36)/RD/BFA/Companies/2019/Spl-1 Dated: 4.11.2020

आदेश

बायोडीजल (बी--100) के रिटेल विक्रय हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान जैव ईंधन नियम – 2019 में सम्मिलित अन्तर विभागीय विषयो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 24.09.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य में बायोडीजल रिटेल आउटलेट के पंजीयन, प्रमाणीकरण एवं नियमित निरीक्षण हेतु संबंधित विभागो में परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिये निम्नानुसार संयुक्त निर्देश जारी किये जाते है।

1. बायोडीजल रिटेल आउटलेट का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण

राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अध्याय 5 के प्रावधानो के अधीन बायोडीजल आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/चल विक्रेता का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण, बायोफ्यूल प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी एवं संबंधित जिले के विधिक माप विज्ञान अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा किया जाकर निरीक्षण रिर्पोट मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक बायोफ्यूल प्राधिकरण को प्रस्तुत की जावेगी।

2. बायोडीजल रिटेल आउटलेट की डिसपेन्सिग मशीन का प्रमाणीकरण (calibration / stamping)

बायोडीजल रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित रिटेल आउटलेट संचालक से लिखित/ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 10 दिवस में संबंधित जिले के विधिक माप विज्ञान अधिकारी (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा डिस्पेन्सिंग मशीन के प्रमाणीकरण (स्टेम्पिंग/केलीब्रेशन) की कार्यवाही सुनिशचित की जावेगी।

3. पंजीकृत बायोडीजल आपूर्तिकताओं/विक्रेताअें का नियमित निरीक्षण

बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत बायोडीजल आपूर्तिकताओं/विक्रेताओं द्वारा विक्रय किये जा रहे बायोडीजल की गुणवत्ता एवं माप की नियमित जांच/निरीक्षण, संबंधित जिले के विधिक माप विज्ञान अधिकारी/जिला रसद अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण के प्राधिकारी एवं संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिनिधि के संयुक्त दल द्वारा की जावेगी। निरीक्षण उपरांत लिये गये बायोडीजल के नमूने को बायोफ्यूल प्राधिकरण को जाँच हेतु भिजवाया जायेगा।

उपरोक्तानुसार समस्त संबंधित अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करेगें।

(नवीन जैन)
शासन सचिव
खाद्य नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपी

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले को भेजकर निवेदन है कि बायोडीजल की नियमित जांच/निरीक्षण हेतु गठित संयुक्त दल हेतु आपके प्रतिनिधि को नामित करने का श्रम करें।
7. जिला रसद अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, समस्त जिले को भेजकर लेख है कि बायोडीजल की नियमित जांच/निरीक्षण हेतु संयुक्त दल के गठन के आदेश जारी करने का श्रम करें।
8. जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, समस्त जिले को पालनार्थ।

4/11/2020

(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
संयुक्त शासन सचिव, ग्रा. वि. विभाग